Bill No. 23 of 2014

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Rajasthan Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 29, Central Act No. 2 of 1974.- In the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No. 2 of 1974), in sub-section (2) of section 29, in its application to the State of Rajasthan, for the existing expression "ten thousand rupees", the expression "fifty thousand rupees" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Excise Act, 1950 was amended by the amending Act of 2007. In section 54 of the Act the provision of sentence for three years imprisonment and fine of twenty thousand rupees has been provided. Aggravated form of the offence is punishable by imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and with fine of twenty thousand rupees or ten times of the loss of excise duty, whichever is higher. In view of same it is necessary to enhance the power of Judicial Magistrate of the first class of imposing fine from ten thousand rupees to fifty thousand rupees, so that he can try such cases.

Under the existing provision of sub-section (2) of section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973, a Magistrate may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding ten thousand rupees or of both. The Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur has proposed for the State to enhance the power of Judicial Magistrate of the first class to sentence a convict with fine upto rupees fifty thousand.

Therefore, the State Government has proposed to amend sub-section (2) of section 29 of the Code of Criminal Procedure, 1973 by way of enhancing the amount of fine of rupees ten thousand to rupees fifty thousand so that Judicial Magistrate of the first class can try such cases in the State.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973
(Central Act No. 2 of 1974)

XX XX XX XX XX

29. Sentences which Magistrates may pass.- (1) xx xx xx xx xx

(2) The Court of a Magistrate of the first class may pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding three years, or of fine not exceeding ten thousand rupees, or both.

(3) to (4) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2014 का विधेयक सं. **23**

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1974 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 2 की धारा 29 का संशोधन.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 29 की उप-धारा (2) के राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में, विद्यमान अभिव्यक्ति "दस हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पचास हजार रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 का 2007 के संशोधनकारी अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। अधिनियम की धारा 54 में तीन वर्ष के कारावास और पच्चीस हजार रुपये जुर्माने का उपबंध किया गया है। गुरुतर रूप में अपराध, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और बीस हजार रुपये या आबकारी शुल्क की हानि के दस गुने, जो भी अधिक हो, के जुर्माने से दण्डनीय है। इस दृष्टि से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति को दस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये किया जाना आवश्यक है ताकि वह ऐसे मामलों का विचारण कर सके।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उप-धारा (2) के विद्यमान उपबंध के अधीन कोई मजिस्ट्रेट तीन वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का या पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है। रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने राज्य सरकार को यह प्रस्तावित किया है कि प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति को, किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को पचास हजार रुपये तक जुर्माने का दण्डादेश देने तक बढ़ाया जाये।

इसलिए, राज्य सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 की उप-धारा (2) को, जुर्माने की रकम को दस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये करते हुए संशोधित किया जाना प्रस्तावित किया है ताकि राज्य में प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का विचारण कर सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

29. दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे.- (1) XX XX

(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या दस हजार रुपये से अनधिक जुर्माने का, या दोनों का, दण्डादेश दे सकता है।

(3) से (4) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2014 का विधेयक सं. **23**

दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को, उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(वसुन्धरा राजे,**प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 23 of 2014

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2014

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

_____

A

Bill

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Rajasthan.

_____

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

_____

PRITHVI RAJ,

Special Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)